

राज बाला बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(जी.एस. संधावालिया, जे.)

जी.एस. संधावालिया और विकास सूरी, जे.जे.

राज बाला - याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य- उत्तरदाता

2017 का सीडब्ल्यूपी नंबर 15387

11 मई 2022

भारत का संविधान, 1950- के अंतर्गत 14, 226 और 227-पारिवारिक पेंशन योजना 1964 हरियाणा राज्य पर लागू-नियम 4 के उपनियम 2 के खंड (डी) का नोट 1-उक्त नियम को हटाना-सेवानिवृत्ति के बाद बच्चे को गोद लेना गोद लिए गए बच्चे को सेवानिवृत्ति लाभ की पात्रता सेवानिवृत्ति के बाद उक्त नोट/नियम सेवानिवृत्ति से पहले और बाद में गोद लिए गए बच्चों के बीच भेदभाव को बढ़ाता है। यह सेवानिवृत्ति के बाद गोद लिए गए बच्चों को परिवार के दायरे से बाहर कर देता है। ऐसे बच्चों को केवल इसलिए पारिवारिक पेंशन के अधिकार से बाहर करने का कोई आधार नहीं है क्योंकि गोद लेने के बाद गोद लिया गया है। सेवानिवृत्ति- माना गया, नियम मनमाना और भेदभावपूर्ण होने के कारण रद्द कर दिया गया।

माना गया कि इस प्रकार यह तर्क दिया गया और तर्क दिया गया कि सेवानिवृत्ति की तारीख को कट-ऑफ तारीख के रूप में तय करना कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं होगा और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद गोद लिया गया बच्चा सेवानिवृत्ति लाभों के लिए लाभ का हकदार नहीं है। (पैरा 2)

इसके अलावा एक अन्य कारक जो देखा जाना चाहिए जो वर्तमान मामले से भी निकलता है वह यह है कि एक निःसंतान कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद एक बच्चे को गोद ले सकता है।

केवल इसलिए कि गोद लेना सेवानिवृत्ति के बाद होता है जो मुख्य रूप से निर्भरता प्रदान करने के उद्देश्य से होता है और साथ ही जोड़े के जीवन की शाम को कुछ रोशनी प्रदान करने के लिए भी होता है। यह इतना अच्छा नहीं होगा कि उक्त बच्चे को केवल इस तथ्य के आधार पर पारिवारिक पेंशन के लाभ से वंचित कर दिया जाए कि गोद लेने का निर्णय देर से लिया गया था। आगे कहा गया कि यह विवादित नहीं है कि पेंशन प्राप्त करने का अधिकार सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा के कारण है और यह प्रासंगिक नियमों द्वारा शासित है और कोई इनाम नहीं है। यह कर्मचारी की अपनी जवानी का सर्वश्रेष्ठ सेवा के लिए देने के बाद खुद को बनाए रखने के लिए है और यह न केवल सरकारी कर्मचारी के लिए बल्कि उनके आश्रितों के लिए भी प्रदान की गई सेवा के लिए एक आर्थिक सुरक्षा है जो इसके हकदार हैं।

(पैरा 8 और 9)

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

2022 (2)

आगे कहा गया कि हमारी सुविचारित राय है कि उपरोक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर पूरी तरह से लागू होते हैं और उक्त नोट भेदभाव और मनमानी की भावना से ग्रस्त है।

(पैरा 12)

आगे कहा गया कि, वर्तमान मामले में गोद लेने की वैधता के संबंध में ऐसा कोई विवाद नहीं है और यह एक पंजीकृत गोद लेने का दस्तावेज है। सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र विधिवत जारी किया गया है। यह स्पष्ट है कि राज्य भी समझदार हो गया है जब उसने 2016 के नियमों को अधिसूचित किया है जिसमें उसने भेदभावपूर्ण प्रावधानों को हटा दिया है और इस तथ्य के बावजूद कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों को लाभ दिया है।

(पैरा 13)

आगे कहा गया कि तदनुसार रिट याचिका की अनुमति दी जाती है। पारिवारिक पेंशन के नियम 4 के उपनियम (ii) के खंड (डी) का नोट-1 योजना 1964 (जैसा कि हरियाणा राज्य पर लागू है) को इस प्रकार पढ़ा जाता है क्योंकि यह समय की अवधि और आदेश के साथ गोद लेने को योग्य बनाता है दिनांक 30.03.2017 को निरस्त किया जाता है। (पैरा 14)

याचिकाकर्ता के वकील इंद्रजीत सिंह

हितेश पंडित, अतिरिक्त. ए.जी., हरियाणा।

जी.एस. संधावालिया, जे.

- (1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर वर्तमान रिट याचिका में चुनौती पारिवारिक पेंशन योजना 1964 के नियम 4 के उप-नियम (ii) के खंड (डी) के नोट -1 को रद्द करने को लेकर है। जैसा कि हरियाणा राज्य पर लागू है भेदभावपूर्ण और मनमाना है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। चुनौती मुख्य रूप से इस आधार पर उठाई गई है कि उक्त आपत्तिजनक नोट के तहत यह प्रावधान किया गया है कि सेवानिवृत्ति से पहले कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे परिवार की परिभाषा के अंतर्गत आएं।
- (2) इस प्रकार यह तर्क दिया गया और तर्क दिया गया कि सेवानिवृत्ति की तारीख को कट ऑफ डेट के रूप में तय करना कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं होगा और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद गोद लिया गया बच्चा लाभ का हकदार नहीं है। सेवानिवृत्ति लाभ के लिए परिणामस्वरूप दिनांक 30.03.2017 के आदेश (अनुलग्नकपी-11) को रद्द करने के लिए सर्टिओरी प्रकृति की रिट जारी की गई जिसने पारिवारिक पेंशन के दावे के लिए याचिकाकर्ता के मामले को इस तथ्य के आधार पर खारिज कर दिया कि

राज बाला बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(जी.एस. संधावालिया, जे.)

उन्हें 07.04.1995 को गोद लिया गया था जबकि उनके दत्तक पिता गुग्गू राम 31.07.1993 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए थे। यह विवादित नहीं है कि पारिवारिक पेंशन का अधिकार पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 के तहत शासित था और इसमें प्रदान की गई परिवार की परिभाषा इस प्रकार है: -

[ii] इस योजना के प्रयोजनों के लिए "परिवार" में अधिकारी के निम्नलिखित रिश्तेदार शामिल हैं।-

- (ए) पुरुष अधिकारी के मामले में पत्नी;
- (बी) महिला अधिकारी के मामले में पति;
- (सी) नाबालिग बेटे;
- (डी) अविवाहित नाबालिग बेटियाँ;
- (ई) विधवा/कानूनी रूप से तलाकशुदा बेटियाँ; और
- (एफ) एक अविवाहित अधिकारी के माता-पिता।

नोट 1.- खंड (सी) और (डी) में सेवानिवृत्ति से पहले कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे शामिल हैं।

नोट 2.- न्यायिक रूप से अलग हुई पत्नी/पति सरकारी कर्मचारी की पत्नी/पति की अपनी कानूनी स्थिति नहीं खोती है और इस प्रकार वह पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 के लाभ के लिए पात्र है।

[(iii)] पेंशन स्वीकार्य है-

- (ए) विधवा/विधुर के मामले में मृत्यु या पुनर्विवाह की तारीख तक जो भी पहले हो;
- (बी) बेटे/बेटी के मामले में जब तक वह पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता;
- (सी) माता-पिता के मामले में, जो सरकारी कर्मचारी के जीवित होने पर मृत्यु की तारीख तक पूरी तरह से उस पर निर्भर थे बशर्ते कि मृत कर्मचारी अपने पीछे न तो कोई विधवा और न ही कोई बच्चा छोड़ गया हो;

(डी) बच्चों के मामले में उनके जन्म के क्रम में और उनमें से छोटा परिवार पेंशन के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसके बाद वाला बड़ा परिवार पेंशन के अनुदान के लिए अयोग्य न हो जाए;

(ई) तलाकशुदा/विधवा बेटी के मामले में जब तक वे जीवित हैं:

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

2022 (2)

बशर्ते कि विधवा/तलाकशुदा बेटी सहित अविवाहित बेटी अपने विवाह/पुनर्विवाह की तारीख से पेंशन के लिए पात्र नहीं होगी।

बशर्ते कि विधवा/तलाकशुदा बेटी सहित बेटा/अविवाहित बेटी पेंशन के लिए अयोग्य हो जाएगी यदि वह आजीविका अर्जित करना शुरू कर देता है। माता-पिता और विधवा/तलाकशुदा बेटी के संबंध में आय मानदंड यह होगा कि उनकी कमाई रुपये से अधिक न हो। 2550/- प्रति माह. बशर्ते कि माता-पिता और विधवा/तलाकशुदा बेटी को इस आशय का वार्षिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी कमाई रुपये से अधिक नहीं है। 2550/- प्रति माह. पारिवारिक पेंशन की ऊपरी सीमा मृत कर्मचारी के मूल वेतन का 30% होगी, जो न्यूनतम रु. 1913/- प्रति माह।"

(3) याचिकाकर्ता की दलील यह है कि वह मृतक सरकारी कर्मचारी गुग्गू राम की लगभग 22 वर्ष की अविवाहित दत्तक पुत्री है जो 31.07.1993 को पी डब्ल्यू डी विभाग से बेलदार के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी पत्नी श्रीमती मानसी देवी की सहमति से गुग्गू राम ने याचिकाकर्ता को तब गोद लिया था जब वह 5 महीने की थी पंजीकृत दत्तक ग्रहण विलेख दिनांक 07.04.1995 (अनुलग्नकपी-1ए) के माध्यम से गोद लेने का प्रमाण उक्त पंजीकृत दत्तक ग्रहण विलेख है जिस से पता चलेगा कि गुग्गू राम और उसकी पत्नी का कोई बेटा या बेटी नहीं थी और उसकी उम्र 61 वर्ष थी और उसकी पत्नी 51 वर्ष की थी। बच्चे के गर्भधारण की कोई उम्मीद न होने के कारण, उन्होंने याचिकाकर्ता को गोद ले लिया था जिसका असली नाम मनप्रीत कौर था और वह पहले

पक्ष की बेटी थी। इस प्रकार उन्होंने उसका नाम राज बाला रखा और कहा गया कि सभी आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी कर ली गई थीं। गोद लेने के तथ्य का प्रमाण मध्य परीक्षा प्रमाणपत्र (अनुलग्नक पी-2) और राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड (अनुलग्नक पी-3 और पी-4) संलग्न करके भी दिखाया गया था। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के तहत दायर सिविल जज (सीनियर डिवीजन), जगाधरी की अदालत द्वारा जारी याचिकाकर्ता के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को अनुलग्नक पी- 4 ए के रूप में जोड़ा गया है जिसमें अपेक्षित लाभ जैसे वयस्क होने पर उसे भुगतान किया जाना दायी है। दत्तक पिता और माता के मृत्यु प्रमाण पत्र को भी अनुबंध पी-5 (काँली) के रूप में रिकॉर्ड पर रखा गया है। (

4) आवश्यक उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संलग्न कर उन्हें पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने हेतु अभ्यावेदन दिया गया उसी की ताकत दावा प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष किया गया था महालेखाकार (ए एवं ई), हरियाणा दिनांक 09.04.2016 (अनुलग्नक पी-6)।

राज बाला बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (जी.एस. संधावालिया, जे.)

इसके बाद 07.11.2016 को एक और अभ्यावेदन (अनुलग्नक पी-7) दिया गया और मामले को उक्त प्रतिवादी (अनुलग्नक पी-8) द्वारा दिनांक 21.11.2016 के संचार के माध्यम से संसाधित किया गया। आवश्यक प्रमाणपत्र 31.01.2017 को प्रस्तुत किए गए (अनुलग्नक पी-9)। विभाग के कार्यकारी अभियंता ने, दिनांक 27.02.2017 के संचार के माध्यम से, इसे अनुमेय होने की स्थिति में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्रतिवादी नंबर 3 को भेज दिया, जैसा कि देखा गया, याचिकाकर्ता ने सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद इस तथ्य की कानूनी बाधा को पूरा कर लिया है।

(5) ऐसी परिस्थितियों में रिट याचिका दायर की गई है और हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 पर भी भरोसा किया गया है, जिसमें नियम 10 पर भरोसा किया गया है जो कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों / विधवा / सहित बेटे और बेटियों को प्रदान करता है। तलाकशुदा बेटियां 'परिवार' की परिभाषा में आएंगी। यह प्रस्तुत किया गया है कि पारिवारिक पेंशन का दावा 25 वर्ष की आयु तक या विवाह

की तारीख तक अविवाहित सबसे बड़ी आश्रित बेटी के लिए स्वीकार्य है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि नोट 3 यह प्रदान करता है। बेटे/बेटी में हिंदू कानून या अपने माता-पिता के साथ रहने वाले और उन पर पूरी तरह से निर्भर रहने वाले सरकारी कर्मचारी के व्यक्तिगत कानून के तहत कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे शामिल होंगे लेकिन इसमें सौतेले बच्चे शामिल नहीं हैं।

(6) राज्य का रुख यह है कि गुग्गू राम ने अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख तक कभी भी अपनी दत्तक पुत्री के रूप में याचिकाकर्ता के नाम का खुलासा नहीं किया। उनकी पत्नी की मृत्यु 23.06.2003 को हो गई थी। दावा वर्ष 2017 में किया गया था जिसे दिनांक 30.03.2017 (अनुलग्नक आर-3) को प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि गोद लेना सेवानिवृत्ति के बाद हुआ था। इस प्रकार इस तथ्य पर कार्रवाई का बचाव किया जाता है कि यह योजना सेवानिवृत्ति के बाद गोद लिए गए व्यक्तियों पर रोक लगाती है। पंजाब सिविल सेवा (हरियाणा द्वितीय संशोधन) नियम, 2004 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 26.08.2004 (अनुलग्नक आर -4) पर भी भरोसा किया गया है जिसने पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड- II के तहत परिवार की परिभाषा को भी प्रतिस्थापित कर दिया है। पारिवारिक पेंशन योजना में परिशिष्ट 1 में इस सीमा तक कि सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले कानूनी गोद लेना था।

(7) हमारी सुविचारित राय में, याचिकाकर्ता के वकील द्वारा उठाया गया तर्क बिल्कुल उचित है कि उक्त नोट सेवानिवृत्ति से पहले और बाद में गोद लिए गए बच्चों के बीच भेदभाव को बढ़ाता है और सेवानिवृत्ति के बाद गोद लिए गए बच्चों को इस दायरे से बाहर रखता है। परिवार का. इस प्रकार, उन्हें पारिवारिक पेंशन के अधिकार से बाहर रखा गया है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए एक लाभकारी प्रावधान है कि किसी के बच्चे

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

2022 (2)

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को किसी आवारागर्दी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार यह नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होने के आधार पर रद्द किया जा सकता है क्योंकि यह किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है और सेवानिवृत्ति के बाद कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों के साथ भेदभाव करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य इस मामले में अधिक समझदार हो गया है क्योंकि हरियाणा सिविल सेवा पेंशन नियम, 2016 में पारिवारिक पेंशन का प्रावधान करते समय, बिना किसी कानूनी तौर पर गोद लिए गए बच्चे को परिवार से संबंधित व्यक्ति के रूप में प्रतिनिधित्व या मान्यता देने का अधिकार मान्यता दे दी गई है। सेवानिवृत्ति के बाद अयोग्यता की अंतिम तिथि। नियम 10, जो परिवार को परिभाषित करता है, इस प्रकार है”-

“(10)-परिवार का अर्थ है-

: : : : :

1(सी). बेटे और बेटियाँ जिनमें कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे, विधवा/तलाकशुदा बेटियाँ शामिल हैं।

: : : : :

“नोट 3.-बेटा/बेटी में कानूनी तौर पर बच्चे शामिल हैं अपने माता-पिता के साथ रहने वाले और उन पर पूरी तरह से निर्भर रहने वाले सरकारी कर्मचारी के हिंदू कानून या व्यक्तिगत कानून के तहत अपनाया गया कदम इसमें शामिल नहीं है

(बी) पारिवारिक पेंशन के प्रयोजन के लिए इसका अर्थ है-

(i) (ए) विधवा (विधवाएं जहां भी व्यक्तिगत के तहत अनुमति हो) कानून) या विधुर पुनर्विवाह या मृत्यु की तारीख तक, जो भी पहले हो,

(i) (बी) मृत सरकारी कर्मचारी की न्यायिक रूप से अलग हुई पत्नी या पति, व्यभिचार के आधार पर ऐसा अलगाव नहीं दिया जा सकता और जीवित रहने वाले व्यक्ति को व्यभिचार करने का दोषी नहीं ठहराया गया था;



(i) (सी) मृत सरकारी कर्मचारी की निःसंतान विधवा जिसने पुनर्विवाह किया है, बशर्ते कि अन्य सभी स्रोतों से उसकी स्वतंत्र आय राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम पारिवारिक पेंशन और उस पर महंगाई राहत से कम हो। ऐसे सभी मामलों में उसे वर्ष मार्च का महीना में एक बार पेंशन संवितरण प्राधिकरण को अन्य सभी स्रोतों से अपनी आय के संबंध में एक घोषणा देनी होगी।

(ii) उपरोक्त (i) के अभाव में, सबसे बड़ा अविवाहित और आश्रित है

राज बाला बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(जी.एस. संधावालिया, जे.)

25 वर्ष की आयु तक का बेटा या बेटी;

(iii) उपरोक्त (i) और (ii) के अभाव में, आश्रित सबसे बड़ी तलाकशुदा या विधवा बेटी को 25 वर्ष की आयु तक, उसके विवाह/पुनर्विवाह की तारीख तक या उसके आजीविका अर्जित करने की तारीख तक, जो भी हो सबसे पहले है, बशर्ते कि वह पारिवारिक पेंशन के लिए परिवार के अन्य मौजूदा सदस्य की पात्रता की समाप्ति की तारीख से पहले विधवा या तलाकशुदा हो गई हो;”

(8) एक अन्य कारक जो देखा जाना चाहिए, जो वर्तमान मामले से भी निकलता है वह यह है कि एक निःसंतान कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद एक बच्चे को गोद ले सकता है। केवल इसलिए कि गोद लेना सेवानिवृत्ति के बाद होता है जो मुख्य रूप से निर्भरता प्रदान करने के उद्देश्य से होता है और साथ ही जोड़े के जीवन की शाम को कुछ रोशनी प्रदान करने के लिए भी होता है। यह इतना अच्छा नहीं होगा कि उक्त बच्चे को केवल इस तथ्य के आधार पर पारिवारिक पेंशन के लाभ से वंचित कर दिया जाए कि गोद लेने का निर्णय देर से लिया गया था।

(9) यह विवादित नहीं है कि पेंशन प्राप्त करने का अधिकार सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा के कारण है और यह प्रासंगिक नियमों द्वारा शासित है और कोई इनाम नहीं है। यह कर्मचारी की अपनी जवानी का सर्वश्रेष्ठ सेवा के लिए देने के बाद खुद को बनाए रखने के लिए है और यह न केवल सरकारी कर्मचारी के लिए बल्कि उसके आश्रितों के लिए भी प्रदान की गई सेवा के लिए एक आर्थिक सुरक्षा है जो इसके हकदार हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीमती भगवंती बनाम भारत संघ' में पारिवारिक पेंशन के अनुदान के मुद्दे से निपटते हुए उस प्रावधान को खारिज कर दिया जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद शादी करने वाली पत्नी को इससे वंचित कर दिया गया था। परिणामस्वरूप यह माना गया कि परिवार की परिभाषा में शामिल सीमा बुराई, मनमानी और भेदभाव से ग्रस्त है और किसी भी सांठगांठ या उचित वर्गीकरण द्वारा टिकाऊ नहीं है और इस प्रकार इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के दायरे से बाहर माना गया है।

(10) विचाराधीन मुद्दा केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 का नियम 54(14) (बी) था और परिवार की परिभाषा यह थी कि विवाह सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पहले होना चाहिए। इसी तरह मुद्दा ये भी था कि बेटे और बेटियां सेवानिवृत्ति से पहले कानूनी रूप से गोद लिए गए और उक्त प्रावधानों को खत्म करते हुए सेवानिवृत्ति के बाद पैदा हुए समान बच्चों को बाहर रखा गया। भागवंती (सुप्रा) में प्रासंगिक भाग इस प्रकार है: -

(1989) 4 एससीसी 397

आई. अल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

"9. पेंशन देय है, जैसा कि कई में बताया गया है पिछली सेवा के विचार पर इस न्यायालय के निर्णय सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किया गया। परिवार की देयता पेंशन मूल रूप से स्वयं के विचार पर है। चूंकि पेंशन पिछली सेवा से जुड़ी हुई है और पेंशन नियमों का घोषित उद्देश्य बुढ़ापे में जीविका प्रदान करना है, सेवा के दौरान शादी और सेवानिवृत्ति के बाद शादी के बीच अंतर वास्तव में मनमाना प्रतीत होता है। ऐसे उदाहरण हैं जहां एक सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद अपनी पहली शादी करता है।

हमारे सामने आए इन दो मामलों में सेवानिवृत्ति कम उम्र में ही हो गई थी। सूबेदार के मामले में वह 18 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गया था और रेलवे कर्मचारी 44 वर्ष की आयु में समय से पहले सेवानिवृत्त हो गया था। मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए समय से पहले या जल्दी सेवानिवृत्ति की वास्तव में कोई प्रासंगिकता नहीं है। यह भारत संघ का मामला नहीं है और यदि पारिवारिक पेंशन का मुद्दा उठाया जाता तो शायद इस विवाद में कोई ताकत नहीं होती। इस तथ्य के आधार पर स्वीकार्य है कि पति या पत्नी ने अपने सेवा कैरियर के दौरान सरकारी कर्मचारी की दक्षता में योगदान दिया। ज्यादातर मामलों में रिटायरमेंट के बाद शादी सुरक्षा, सुरक्षित साथ और बुढ़ापे में सहारा पाने के लिए की जाती है। किस पेंशन पर विचार. उचित स्वीकार्य है या पारिवारिक पेंशन का लाभ बढ़ाया गया है सेवानिवृत्ति के बाद के पति/पत्नी को इससे बाहर रखकर 'परिवार' की परिभाषा में परिकल्पित भेद को उचित नहीं ठहराया जाता है।

10. सरकारी सेवक आचरण नियम जीवनसाथी के जीवनकाल के दौरान विवाह पर रोक लगाते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 494 दूसरी शादी को शून्य बनाती है और इसे आपराधिक अपराध बनाती है। इसके बाद, सेवानिवृत्ति से पहले और सेवानिवृत्ति के बाद भी किसी व्यक्ति के लिए दूसरी पत्नी या पति रखने की कोई गुंजाइश नहीं है। जीवन के दौरान- मौजूदा जीवनसाथी का समय जैसा भी मामला हो.

11. की सिफ़ारिशों पर भरोसा रखा गया है तीसरा वेतन आयोग जिसके आधार पर संशोधन कहा जाता है कि पेंशन के अलावा नियम बनाये गये हैं सिफ़ारिशों के संदर्भ में कोई प्रयास नहीं किया गया है हम वास्तव में सिफ़ारिशों से समर्थन प्राप्त करने के लिए भारत संघ के वकील द्वारा सुनवाई में इसका कोई औचित्य नहीं देखते हैं सेवानिवृत्ति के बाद की शादियों को परिभाषा के दायरा से दूर क्यों रखा जाना चाहिए.

12. परिभाषा के खण्ड (ii) में पुत्र या पुत्री के बाद जन्म हुआ

राज बाला बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (जी.एस. संधावालिया, जे.)

सेवानिवृत्ति से पहले विवाह के बाहर भी सेवानिवृत्ति को परिभाषा से बाहर रखा गया है। इस बहिष्करण के लिए हमारे विचारार्थ कोई प्रशंसनीय स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। जिस उद्देश्य के लिए पारिवारिक पेंशन प्रदान की जाती है जैसा कि श्रीमती पूनामल के मामले में दर्शाया गया है। सेवानिवृत्ति के बाद पैदा हुए बच्चों को पारिवारिक पेंशन के लाभ से बाहर रखे जाने पर निराशा होती है। इतनी अधिक उम्र में (सामान्य सेवानिवृत्ति की आयु को ध्यान में रखते हुए) बच्चों के जन्म की संभावना न्यूनतम है लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद पैदा होने वाले कुछ लोगों के लिए पारिवारिक पेंशन सबसे आवश्यक होगी क्योंकि इसके अभाव में मृत्यु की स्थिति में सरकारी कर्मचारी के ऐसे नाबालिग बच्चे बिना सहारे के रह जाएंगे। इस न्यायालय द्वारा कुछ पेंशन मामलों में जिस सामाजिक उद्देश्य पर ध्यान दिया गया वह जवाबी हलफनामे में भारत संघ द्वारा अपनाए गए रुख को उचित नहीं ठहराएगा। यह केंद्र सरकार का मामला नहीं है कि जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए सार्वजनिक नीति के रूप में परिभाषा को इतना संशोधित किया गया है। भले ही इस तरह का कोई तर्क दिया गया हो यह इस स्थिति के कारण तार्किक जांच में खड़ा नहीं होता कि सरकारी कर्मचारी के पास सेवानिवृत्ति से पहले कोई बच्चा नहीं हो सकता है और स्वीकृत सार्वजनिक नीति के मद्देनजर कि एक जोड़े को दो तक बच्चे हो सकते हैं सेवानिवृत्ति के बाद पैदा हुए एकमात्र बच्चे को पारिवारिक पेंशन से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

13. किसी भी दृष्टिकोण से, हमारा विचार है कि 'परिवार' की परिभाषा में शामिल दो सीमाएं मनमानेपन और भेदभाव से ग्रस्त हैं और इन्हें सांठगांठ या उचित वर्गीकरण द्वारा समर्थित नहीं किया जा सकता है। खंड (i) में 'बशर्ते विवाह सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पहले हुआ हो' और खंड में 'लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद पैदा हुए बेटे या बेटी को शामिल नहीं करेगा'।

(ii) इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकार अधिकारातीत हैं और इन्हें कायम नहीं रखा जा सकता है।

14. रिट याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं। भारत के प्रतिवादी संघ को दोनों रिट याचिकाओं में प्रत्येक याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु की तारीख से संबंधित योजनाओं के तहत स्वीकार्य पारिवारिक पेंशन बढ़ाने का निर्देश दिया जाएगा।''

(11) ऐसी ही परिस्थितियों में, इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

2022 (2)

गुरदयाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में पंजाब सिविल सेवा नियम खंड के पंजाब परिवार पेंशन नियमों के नोट 2 को नियम 1.27 उप-नियम 3 से हटा दिया गया। I जिसने भागवती (सुप्रा) में फैसले और श्रीमती लक्ष्मी कुँवर बनाम राजस्थान राज्य और कांता देवी बनाम यूओआई में शीर्ष अदालत के फैसले पर भरोसा करते हुए सेवानिवृत्ति के बाद शादी को मान्यता नहीं दी।

(12) हमारी यह सुविचारित राय है कि उपरोक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर पूरी तरह से लागू होते हैं और उक्त ध्यान दें भेदभाव और मनमानेपन से ग्रस्त है।

(13) वर्तमान मामले में, गोद लेने की वैधता के बारे में ऐसा कोई विवाद नहीं है और यह एक पंजीकृत गोद लेने का विलेख है।सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र विधिवत जारी किया गया है।यह स्पष्ट है कि राज्य भी बुद्धिमान हो गया है जब उसने 2016 के नियमों को अधिसूचित किया, जिसमें उसने भेदभावपूर्ण प्रावधानों को समाप्त कर दिया है और कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों को लाभ प्रदान किया है, इस तथ्य के बावजूद कि गोद लेना सेवानिवृत्ति से पहले या बाद में था।

(14) तदनुसार, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है।परिवार पेंशन योजना, 1964 (जैसा कि हरियाणा राज्य पर लागू होता है) के नियम 4 के उप-नियम (ii) के खंड (डी) के नोट-1 को उतना पढ़ा जाता है जितना कि यह समय की अवधि के साथ गोद लेने के योग्य होता है और 30.03.2017 दिनांकित आदेश को रद्द कर दिया जाता है।

(15) प्रतिवादी को निर्देश जारी किए जाते हैं कि वे याचिकाकर्ता के मामले पर आगे विचार करें ताकि पारिवारिक पेंशन प्रदान की जा सके, जिसकी वह अपने पिता की मृत्यु की तारीख अर्थात् 20.02.2006 से हकदार है। चूंकि दावा केवल वर्ष 2017 में किया गया था और एक कानूनी अड़चन थी इसलिए हम विलंबित भुगतान पर ब्याज का लाभ देना उचित नहीं मानते हैं। हालाँकि, इस मामले पर कार्रवाई की जानी चाहिए और अवशिष्ट राशि के साथ पारिवारिक पेंशन का भुगतान याचिकाकर्ता को निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक कार्य नहीं किया जाता है, तो प्रतिवादी पात्रता की तारीख से भुगतान की तारीख तक प्रति वर्ष @6% ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

डॉ. पायल मेहता

2. (2000) 1 एससीटी 1072

3. 1993 (8) एसएलआर 427

4. 1994 (5) एसएलआर 279

(अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अमित वर्मा - अनुवादक